151

संख्या–1718 /XV-1/13/1(4)/12

प्रेषक,

डा० रणबीर सिंह,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
पशुपालन विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

देहरादूनः दिनांक 7 जनवरी ~~दिसम्बर~~, 2013

पशुपालन अनुभाग–1

विषयः बकरी पालन/भेड़ पालन/गौ पालन राज्य सेक्टर नई योजनान्तर्गत धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या–63/नि–5/एक(26)/आय–व्यय/2012–13 दिनांक 03 अप्रैल, 2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में आय–व्ययक में प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौ पालन राज्य सेक्टर योजनान्तर्गत अनुदान संख्या–30 एवं अनुदान संख्या–31 में क्रमशः ₹ 189.70 लाख एवं ₹ 20.60 लाख कुल **₹ 210.30 लाख (₹ दो सौ दस लाख तीस हजार मात्र)** की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर निम्न विवरणानुसार प्रदिष्ट किये जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैः–

(धनराशि लाख ₹ में)

लेखाशीर्षक/ मानक मद	**धनराशि**	**लेखाशीर्षक/ मानक मद**	**धनराशि**
अनुदान संख्या–30 2403– पशुपालन आयोजनागत– 00–106–अन्य पशुधन विकास–02–अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेंट प्लान–		अनुदानसंख्या–31 2403– पशुपालन आयोजनागत–00–796–जनजाति क्षेत्र उपयोजना–	
0206–अ0सू0जातियों हेतु बकरी पालन योजना		24–बकरी पालन योजना	
42–अन्य व्यय	43.40	42–अन्य व्यय	4.20
0210–भेड़ पालन योजना		25–भेड़ पालन योजना	
42–अन्य व्यय	23.10	42–अन्य व्यय	2.80
0211–गौ पालन योजना		27–गौ पालन योजना	
42–अन्य व्यय	123.20	42–अन्य व्यय	13.60
योग–	**189.70**		**20.60**

कुल ₹ 210.30 लाख (₹ दो सौ दस लाख तीस हजार मात्र)

(1) बकरी पालन, भेड़ पालन एवं गौ पालन राज्य सेक्टर योजना के संचालन हेतु लाभार्थी चयन प्रक्रिया तथा अनुदान दिये जाने हेतु शासनादेश संख्या–1717/XV-1/13/1(4)/12 दिनांक 3 दिसम्बर, 2013 द्वारा निर्धारित प्रावधान/दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) योजनान्तर्गत स्वरोजगार हेतु क्रय किये गये पशु (गाय, बकरी एवं भेड़) को 05 वर्ष तक लाभार्थी द्वारा विक्रय नहीं किया जायेगा तथा पशु के मृत्यु होने पर संबंधित/नजदीकी पशुचिकित्साधिकारी से निरीक्षण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा अन्यथा योजना में दुरूपयोग होने की संभावना बनी रहेगी।

(3) धनराशि का उपयोग करने के उपरान्त उक्त मदों मे हुये व्यय का विवरण तथा लाभान्वितों की संख्या ग्रामवार/विकासखण्डवार/जनपदवार संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। लाभार्थी चयन के समय यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचिज जनजाति के निर्धनतम व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहें।

(4) धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व जहां कहीं आवश्यक हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा आहरण वितरण अधिकारी धनराशि की फांट कर उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगें।

(5) बजट मैनुअल में निर्धारित प्रकिया के अधीन कोषागार द्वारा प्रमाणित बाउचर संख्या एवं दिनांक के आधार पर अंकित बजट की सीमा में प्रतिमाह 5 तारीख तक प्रपत्र बी०एम०–8 पर विभागाध्यक्ष द्वारा सूचना वित्त विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायी जाय।

(6) इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत रूप से व्यय न किया जाय। धनराशि का व्यय एवं आहरण आवश्यकतानुसार ही किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आवश्यकतानुसार मासिक रूप से आहरण किया जाय एवं अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक कदापि व्यय नहीं की जायेगी और न अधिक व्ययभार सृजित किया जायेगा। नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी।

2. उक्त धनराशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013–14 में अनुदान संख्या–30 एवं अनुदान संख्या–31 के अन्तर्गत उक्तानुसार उल्लिखित लेखाशीर्षक के सुसंगत मानक मदों के अन्तर्गत वहन किया जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या– 117(P)/XXVII-4/2013 दिनांक 31 दिसम्बर, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० रणबीर सिंह)
प्रमुख सचिव

संख्या– 1718 (1)/XV-1/2013 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
3. आयुक्त, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल/कुमाऊँ मण्डल, उत्तराखण्ड।
8. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–4।
9. निदेशक, एन.आई.सी. सचिवालय देहरादून को वैवसाईट में अंकित किये जाने हेतु।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(डी०एम०एस० राणा)
अनु सचिव